तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.26	न्यायालय **जिला कलेक्टर** मुकाम **सीकर** बनवारीलाल **बनाम** मालीराम आदि प्रकरण संख्या **45/2025 प्रार्थना पत्र मुंतकिली**	

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित हुए हैं। शेष पक्षकारान/अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित हैं। उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने मुंतकिली आवेदन में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया है कि, प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रींगस से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 31/2024 मालीराम बनाम कालूराम को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश फरमाये जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रींगस में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 31/2024 मालीराम बनाम कालूराम में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांकित 02.06.2025 को अन्य पक्षकारान द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर में चुनौती दी गई थी। न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने अपने आदेश दिनांक 04.07.2025 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.06.2025 को अपाश्त कर मौके एवं रिकार्ड के अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे, जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः उभयपक्षकारान को सुनवायी के समुचित एवं समान अवसर देते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी मात्र प्रकरण को विलम्बित करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद/आधारहीन हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली आवेदन निरस्त फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री ओदश को न्यायालय RAA सीकर के द्वारा अप्राश्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी पुनः इस न्यायालय में जिन

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथ्यों के साथ आया है उनके समर्थन में कोई ठोस आधार इस न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहा है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित आक्षेपों को यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। फिर भी पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बनवारीलाल द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **खारिज** किया जाता है। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रींगस को निर्देशित किया जाता है कि, आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 31/2024 मालीराम बनाम कालूराम में उभयपक्षकारान को दस्तावेज एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने तथा सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए समुचित एवं समान अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।** यह पत्रावली मुंतकिली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक **12.03.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया है। (मुकुल शर्मा) **जिला कलेक्टर, सीकर** (मुकुल शर्मा) जिला कलेक्टर, सीकर	